SHRI SANDOSH KUMAR P. (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Problems being faced by HIV infected people

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे एचआईवी पॉज़िटिव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

इस बीमारी से ग्रसित लोगों के साथ बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव होता है। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को अत्यधिक अपमान और वेदना का सामना करना पड़ता है। देश में लगभग 682 एआरटी सेंटर्स एवं 1,270 लिंकसेंटर्स हैं और लगभग 2.4 मिलियन लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। भाजपा सरकार हमेशा से ही इस मुद्दे पर संवेदनशील रही है। सन् 2004 में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने एचआईवी के मुफ्त उपचार की घोषणा की थी। सन् 2017 में एचआईवी एंड एड्स बिल पारित किया गया।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी पंजीकृत एचआईवी पीड़ित लोगों को यशस्वी प्रधान मंत्री जी की 'आयुष्मान योजना' के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए।

6.00 P.M.

नेशनल एड्स कंट्रोल काउंसिल को पुनः सक्रिय किया जाए। ए.आर.टी. सेंटर में काउन्सलर के पद पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर एचआईवी पॉज़िटिव की ही नियुक्ति हो, जो उनका दर्द समझ सकें। ए.आर.टी. की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। पीडियाट्रिक ए.आर.वी. समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान निकाला जाए। इस बीमारे के बारे में जागरूकता बढ़ायी जाए। इस संवेदनशील मुद्दे पर डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करा कर लोगों को जागरूक किया जाए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं।

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to revoke GST on Handloom products and provide incentives for welfare of handloom weavers

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, once our Father of the Nation, Gandhi *ji*, said that agriculture and handloom sectors were two eyes for India. Handloom is the second largest sector in employment after agriculture. Until 2017, no Government in our Republic, India, has levied any taxes on the handloom products,